[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi the 28.5. 2012

G.S. R. ……………………….. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (b) of sub-section (1) of section 642 read with sections 266 A, 266 B and 266 E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 namely:-

1. Short title and commencement

   (1) These rules may be called the Companies (Director Identification Number) Amendment Rules, 2012.
   (2) They shall come into force with effect from 29th May, 2012.

2. In the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006,-

   (a) after FORM NO. DIN 1, in Annexure 1, for item (i) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

   "(i) The photograph and document attached to the Form DIN-1 belongs to me. I further confirm that all required documents have been duly attested by me or duly attested by either Public Notary or a Gazetted Officer of a Government and are attached to the Form DIN-1 and".

   (b) in FORM NO. DIN-4,-

   (i) in serial number 2, after the box and words " ☐ Present Residential address", the following shall be inserted, namely:-

☐ Photograph of Director/designated Partner.

☐ Residential Status

☐ Verification as per Annexure- 1 of DIN rules

☐ Verification as per Annexure- 2 of DIN rules

(ii) After serial number 6 and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

" 6A. Whether resident in India ○ Yes ○ No"

(iii) in Attachments, against serial number 1, in the entry, the asterisk mark '*' shall be omitted.

(c) after FORM NO. DIN 4, in Annexure 2, -

(i) in item (i) after sub-item (l) and entry relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(m) Photograph of Director/designated partner
(n) Residential Status
(o) Verification as per Annexure- 1 of DIN rules
(p) Verification as per Annexure- 2 of DIN rules";

(ii) for item (ii) and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) The photograph and document attached to the Form DIN-4 belongs to me. I further confirm that all required documents have been duly attested by me or duly attested by either Public Notary or a Gazetted Officer of a Government and are attached to the Form DIN-4 and".

[F. No. 2/1/2011-CL V]

Renuka Kumar
Joint Secretary

Note: - The principal notification was published vide number G. S. R. 649 (E) dated the 19th October, 2006 and subsequently amended vide the following notifications:-

S. No.	Notification Number	Date
01	GSR 14 (E)	09.01.2007
02	GSR 265 (E)	29.03.2007
03	GSR 849 (E)	15.10.2010
04	GSR 258 (E)	26.03.2011
05	GSR 427 (E)	02.06.2011
06	GSR 507 (E)	05.07.2011

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28.5.2012

सा.का.नि... (अ) -- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, धारा 266ख और धारा 266ङ के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख)) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये 29 मई 2012 से प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 में,-

(क) प्ररूप सं. डीआईएन 1 के पश्चात् उपाबंध 1 की मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) प्ररूप डीआईएन 1 से उपाबद्ध फोटो और दस्तावेज मेरे हैं । मैं यह और पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज मैंने सत्यापित कर दिए हैं या पब्लिक नोटेरी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिए गए हैं और प्ररूप डीआईएन 1 से उपाबद्ध हैं तथा " ।

(ख) प्ररूप सं. डीआईएन 4 में,-

(i) क्रम सं. 2 में "बाक्स और वर्तमान रिहायशी पता शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

☐ निदेशक/अभिहित भागीदार का फोटो

☐ आवासिक प्रास्थिति

☐ डीआईएन नियमों के उपाबंध - 1 के अनुसार सत्यापन

☐ डीआईएन नियमों के उपाबंध - 2 के अनुसार सत्यापन

(ii) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

''6क. क्या भारत का निवासी है ○ हां ○ नहीं

(iii) क्रम सं. 1 के सामने की प्रविष्टि के संलग्नकों से तारक '*' चिह्न का लोप किया जाएगा ।

(ग) प्ररूप सं. डीआईएन 4 के पश्चात् उपाबंध 2 में,-

(i) मद (i) की उपमद (ठ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ड) निदेशक/अभिहित भागीदार का फोटो

(ढ) आवासिक प्रास्थिति

(ण) डीआईएन नियमों के उपाबंध - 1 के अनुसार सत्यापन

(त) डीआईएन नियमों के उपाबंध - 2 के अनुसार सत्यापन

(ii) मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ii) प्ररूप डीआईएन 1 से उपाबद्ध फोटो और दस्तावेज मेरे हैं । मैं यह और पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज मैंने सत्यापित कर दिए हैं या पब्लिक नोटेरी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिए गए हैं और प्ररूप डीआईएन 1 से उपाबद्ध हैं तथा " ।

[फा.सं. 2/1/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार

(रेणुका कुमार)

संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना सा.का.नि. 649 (अ) तारीख 19 अक्तूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी :-

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	तारीख
01	सा.का.नि. 14(अ)	09.01.2007
02	सा.का.नि. 265(अ)	29.03.2007
03	सा.का.नि. 849(अ)	15.10.2010
04	सा.का.नि. 258(अ)	26.03.2011
05	सा.का.नि. 427(अ)	02.06.2011
06	सा.का.नि. 507(अ)	05.07.2011